संख्या:778/2023/2524/35-4-2023/35-4099/72/2022

प्रेषक,

जे0एल0 यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 27 सितम्बर,2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण से सम्बन्धित स्वीकृत कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हआ है कि जनपद लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र-बक्शी का तालाब में राजकीय पालीटेक्निक, नगवामऊ कलां के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-25/2020/264/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 दवारा स्वीकृति निर्गत करते हए भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1761.77 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-30/2021/586/35-4-2021, दिनांक 04 मार्च, 2021 दवारा दवितीय किश्त के रूप में रू0 264.27 लाख, शासनादेश सं0-149/2021/1419/35-4-2021, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 दवारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 857.06 लाख तथा शासनादेश सं0-272/2022/940/35-4-2022 दिनांक 22 अगस्त, 2022 दवारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 352.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल रू. 1673.68 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र सं0-773/त्व0आ0वि0यो0/अर्थ एवं संख्या/2019-20/2023-24, दिनांक 28.08.2023 दवारा उक्त राजकीय पालीटेक्निक के भवन निर्माण कार्य में लागत के सापेक्ष वास्तविक रूप में भुगतान की गई जी0एस0टी0 की धनराशि के मांग की संस्तुति की गई है। एतददवारा उक्त भवन निर्माण कार्य की मूल अनुमोदित लागत रू. 1761.77 लाख में भुगतान की गई जी0एस0टी0 की धनराशि रू. 227.78 लाख को सम्मिलित करते हये कार्य की लागत को रू. 1989.55 लाख (रू.1761.77 लाख+रू. 227.78 लाख) पर पुनरीक्षित किये जाने एवं पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हए पंचम किश्त के रूप में मांग की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि रू. 227.78 लाख (रूपये दो करोड़ सत्ताइस लाख अट्हत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	**अनुमोदित लागत**	**पुनरीक्षित लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
राजकीय पालीटेक्निक, नगवामऊ कलां, बक्शी का तालाब, लखनऊ का भवन निर्माण कार्य	1761.77	1989.55	1673.68	227.78

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 दिनांक 04 मार्च, 2021 तथा दिनांक 23 सितम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,27,78,000 (रूपये दो करोड़ सत्ताइस लाख अट्हत्तर हजार मात्र) चाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 4202021040302 राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जे0एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या:778/2023/2524(1)/35-4-2023/35-4099/72/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
11-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
15-परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-3, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
16-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in